Cooperative Press, Jaipur/106/2013

प्ररूप - 5

(नियम 9 (1) देखिये)

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

.... *के लिए निर्वाचन

प्रेषिती :-

रिटर्निंग ऑफिसर,

मैं, ... जो उपरिवर्णित निर्वाचन में [1](विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी) हूँ, एतद्द्वारा सूचना देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ।

स्थान ....

तारीख ....

[1](विधिमान्यत : नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी) के हस्ताक्षर

यह सूचना .... (नाम) द्वारा, जो .... है, ... (तारीख) को .... (बजे) मुझे/मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

तारीख .... **रिटर्निंग ऑफिसर**

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना के लिए रसीद
(सूचना परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिये)

.... की, जो कि .... * के लिए निर्वाचन में [1](विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी) है, अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना .... +द्वारा .... (तारीख) को .... (बजे) मुझे/मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

रिटर्निंग ऑफिसर

---

* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए—

(1) .... निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।

(2) .... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।

(3) .... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) .... (संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) विधानसभा सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।

(6) .... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

\+ यहाँ निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिये :-

1. अभ्यर्थी।
2. अभ्यर्थी का प्रस्थापक जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप मे प्राधिकृत किया है।
3. अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिये लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।

1\. अधिसूचना सं. का.आ. 565 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

Cooperative Press, Jaipur/111/2013

प्ररूप - 10

(नियम 13 (2) देखिये)

*मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति

.... ** के लिए निर्वाचन

मैं, ... जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में +अभ्यर्थी हूँ/ .... का, जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्त्ता हूँ, एतद्द्वारा .... (नाम और पता) को .... में .... संख्यांक वाले +मतदान केन्द्र में/मतदान के लिए नियत स्थान .... में हाजिर रहने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान ....

तारीख .... **+अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर**

मैं ऐसे मतदान अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ।

स्थान ....

तारीख .... **मतदान अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर**

पीठासीन ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्त्ता की घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128++ द्वारा, *जो मैंने पढ़ ली है/ जो मुझे पढ़ कर सुना दी गई है, निषिद्ध कोई बात न करुंगा।

तारीख .... **मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर**

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

तारीख .... **पीठासीन ऑफिसर**

---

*मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश किये जाने के लिये मतदान अभिकर्ता को दे दिया जाए।

**यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :-

(1) .... निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।

(2) .... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।

(3) .... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(4) .... (संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचनगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(5) .... विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।

(6) .... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

+जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिये।

++लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128-

''**128 मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना :-** (1) ऐसा हर ऑफिसर, लिपिक, अभिकर्त्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य का पालना करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और बनाये रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिये प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिये संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।''

Cooperative Press, Jaipur/119/2013

[1][प्ररूप - 14 क

(नियम 40(2) और 40 क (2) देखिए)

+निरक्षर, अन्धे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची

.... निर्वाचन क्षेत्र से *लोक सभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन

**विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/की सदस्यों **द्वारा .... के लिए निर्वाचन

.... [2][विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ....]

मतदान के स्थान पर नाम ....

निर्वाचक का भाग संख्या और क्रम संख्या	निर्वाचक का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम	साथी का पूरा पता	साथी के हस्ताक्षर

तारीख .... **पीठासीन ऑफिसर के हस्ताक्षर]**

+''निरक्षर शब्द सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में लागू नहीं है।

* जो लागू न हो, उसे काट दीजिए।

** जो लागू न हो, उसे काट दीजिए।

Cooperative Press, Jaipur/121/2013

प्ररूप - 17 ख

(नियम 49 त देखिये)

निविदत्त मतों की सूची

.... निर्वाचन-क्षेत्र से ....

लोक सभा/राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ....

निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक ....

क्रम संख्यांक	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में (प्ररूप 17 क) क्रम संख्यांक जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

तारीख .... **पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर**

Cooperative Press, Jaipur/123/2013

प्ररूप - 18

(नियम 52 (2) देखिये)

गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

.... निर्वाचन-क्षेत्र से .... के लिए निर्वाचन।

सेवा में,

रिटर्निंग ऑफिसर,

मैं .... *जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ/ .... का, जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूँ .... पर मतों की गणना में हाजिर रहने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा अपने गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूँ।

गणन अभिकर्ता के नाम	**गणन अभिकर्ता का पता**
1.	
2.	
3.	
आदि	

***अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर**

---

* जो अनुकल्प समुचित न हो, उसे काट दीजिए।

हम ऐसे गणन अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

1.

2.

3.

4.

5.

आदि

स्थान ....

तारीख .... **गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर**

गणन अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाए)

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम ऊपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128+ द्वारा, जिसे ×हमने पढ़ लिया है/ जो हमें पढ़कर सुना दी गई, निषिद्ध हैं कोई बात न करेंगे।

1.

2.

3.

4.

5.

आदि

तारीख ....

गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

तारीख ....

रिटर्निंग ऑफिसर

×जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए।

+लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128:-

''**128. मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना—** (1) ऐसा हर ऑफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा''।

Cooperative Press, Jaipur/105/2013

[1][**प्ररूप – 4**

(नियम 8 देखिये)

विधिमान्यत : नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

.... के लिए निर्वाचन

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	** पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता@
1	2	3	4	5

I मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी

II रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)

III अन्य अभ्यर्थी

स्थान ....

तारीख ....

रिटर्निंग ऑफिसर]

*निर्वाचन सम्बन्धी समुचित विशिष्टियाँ यहाँ लिखिए।

**जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दें।

@उपरोक्त प्रवर्ग (i) और प्रवर्ग (ii) के अधीन उल्लिखित अभ्यथियों की दशा में लागू।

कृपया ध्यान दें : उपरोक्त स्तम्भ 1 के अधीन सभी तीन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की क्रम संख्या क्रमवार होगी न कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथक्तया।

[1] अधिसूचना सं. का.आ. 558 (अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Cooperative Press, Jaipur/122/2013

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 17 ग

(नियम 49 ध और 56 ग (2) देखिए)

भाग 1- अभिलिखित मतों का लेखा

.... निर्वाचन-क्षेत्र से .... लोक सभा क्षेत्र/राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र संख्यांक और नाम ....

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान नियंत्रण यूनिट / मतदान यूनिट

मशीन का पहचान संख्यांक

1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17 क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
3. नियम 49 ण के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या
4. नियम 49 ड के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या
5. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या
   घटा-मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या
   घटा-मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49 त के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किये गये
8. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

   क्रम संख्या

   .... से .... तक

   (क) प्रयोग के लिए प्राप्त ....

   (ख) निर्वाचकों को जारी किये गए ....

   (ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए ....
9. कागज की सीलों का लेखा

   क्रम संख्या

   .... से .... तक

मतदान अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर

1.	प्रदाय की गई कागज की सीलों के क्रम संख्यांक .... से ....तक	1.
2.	प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या	2.
3.	प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या	3.
4.	रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या (मद 3 में से मद 2 घटाइये)	4. 5.
5.	नष्ट हुई कागज की सीलों का क्रम संख्यांक, यदि कोई हो	6.

तारीख .... **पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर**

स्थान .... मतदान केन्द्र सं. ....

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

भाग 2 – मतगणना का परिणाम

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभिलिखित मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
योग		

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों कोणों में कोई फर्क दर्शित होता है।

स्थान ....

दिनांक ....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता का नाम
पूरे हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

स्थान ....

दिनांक ....

रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर]

Cooperative Press, Jaipur/114/2013

प्ररूप – 13 क
FORM 13 A
निर्वाचक द्वारा घोषणा
DECLARATION BY ELECTOR

(नियम 23 (1) (क) देखिये)

[See rule (23) (1) (a)]

.... निर्वाचन क्षेत्र से *लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन

Election to the *House of people/Legislative Assembly from .... Constituency

(यह तरफ तभी उपयोग में लाई जाए जब निर्वाचक स्वयं घोषणा को हस्ताक्षरित करे)

(This side is to be used only when the elector signs the declaration himself)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ जिसे .... क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र ऊपरिवर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है।

I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number .... *has been issued at the above election.

निर्वाचक के हस्ताक्षर

Signature of elector

तारीख .... पता ....

Date .... Address ....

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

Attestation of signature

ऊपरिवर्णित पर .... (निर्वाचक) ने जिसे * मैं स्वयं जानता हूँ/या जिसे .... (पहचानने वाले) ने, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

The above has been signed in my presence by ....

(elector) who *is personally known to me/has been identified to my satisfaction by.......................................

(identifier) who is personally known to me.

यदि कोई पहचानने वाला है, तो उसके हस्ताक्षर ....

Signatuer of identifier, if any ....

पता ....

Address ....

अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर के हस्ताक्षर

Signature of Attesting Officer

पदाभिमान ....

Designation ....

पता ....

....

Address ....

....

तारीख ....

Date ....

*जो अनुकल्प लागू न हो, उसे काट दीजिये।

*Strike off the inappropriate alternative.

(यह तरफ तब उपयोग में लाई जाए जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता)
(This side is to be used when the elector connot sign himself.)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ जिसे .... क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र ऊपरिवर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है।

I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number .... has been issued at the above election.

निर्वाचक की ओर से अनुप्रमाणनकर्त्ता ऑफिसर के हस्ताक्षर

Signature of Attesting Officer on behalf of elector

तारीख .... निर्वाचक का पता ....

Date .... Address of Elector ....

प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ। कि-

I hereby certify that -

(1) उपरिनामांकित निर्वाचक को **मैं स्वयं जानता हूँ/ .... (पहचानने वाले) ने, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है।

The above named elector** is personally known to me/has been identified to my satisfaction by .... (identifier) who is personally known to me;

(2) मेरा समाधान हो गया है कि निर्वाचक **निरक्षर है .... (अंग-शैथिल्य) से ग्रस्त है और अपना मत स्वयं अभिलिखित करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ है।

I am satisfied that the elector** is illiterate/suffers from ....(infirmity) and is unable to record his vote himself or sign his declaration;

(3) उसने मुझसे प्रार्थना की थी कि उसकी ओर से मैं मतपत्र चिन्हित कर दूँ और उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर कर दूँ, तथा
I was requested by him to mark the ballot paper and to sign the above declaration on his behalf; and

(4) मैंने उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतपत्र चिन्हित किया है और घोषणा पर हस्ताक्षर किये हैं।
the ballot paper was marked and the declaration signed by me on his behalf in his presence and in accordance with his wishes.

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसके हस्ताक्षर ....

Signatuer of identifier, if any ....

पता ....

Address ....

अनुप्रमाणनकर्त्ता ऑफिसर के हस्ताक्षर

Signature of Attesting Officer

पदाभिमान ....

Designation ....

पता ....
....

Address ....
....

तारीख ....

Date ....

**जो अनुकल्प लागू न हो, उसे काट दीजिये।

**Strike off the inappropriate alternative.

Cooperative Press, Jaipur/109/2013

[1][FORM 7A

[See rule 10(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the House of the People/Legislative Assembly from the .... Constituency.

Sl. No.	Name of candidate	Address of candidate	*Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5

(i) Candidates of recognised National and State Political Parties.

(ii) Candidates of registered political parties
(other than recognised National and State Political Parties

(iii) Other candidates.

Place ....

Date ....

Returning Officer.]

*Applicable in the case of candidates mentioned under categories (i) and (ii) above.

N.B. :- Under Col. 1 above, the serial numbers of candidates of all the three categories shall be given consecutively and not separately for each category.]

1. Subs. by Notification No. S.O. 558 (E), dated the 9th August, 1996, for Form 7A.

Cooperative Press, Jaipur/117/2013

[1][FORM 13 D

[See rule 23 (1) (d)]

INSTRUCTIONS FOR GUIDANCE OF ELECTORS

(To be used at an election to the House of the People or to the Legislative Assembly of a State)

Election to the* .... from the ....

....

The persons whose names are printed on the ballot paper sent herewith are candidates at the above election. Record your vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to give your vote. The mark should be so placed as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are giving your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have given your vote, your vote will be invalid.

The number of members to be elected is one. Please remember that you have only one vote. Accordingly you should not vote for more than one candidate. If you do so, your ballot paper will be rejected.

Do not put your signature or write any word or make any mark, sign or writing whatsoever on the ballot paper other than the mark required to record your vote.

After you have recorded your vote on the ballot paper, place the ballot paper in the smaller cover marked 'A' sent herewith. Close the cover and secure it by seal or otherwise.

(1) You may then sign the declaration in Form 13 A also sent herewith in the presence of a stipendiary magistrate and obtain the attestation of your signature by such stipendiary magistrate.

(2) If you are a member of the armed forces of the Union or of an armed police force of a State but is serving outside, that State, the attestation may be obtained by such officer as may be appointed in this behalf by the Commanding Officer of the Unit, ship or establishment in which you or your husband, as the case may be, are employed.

(3) If you are employed under the Government of India in a post outside India the attestation may be obtained by such officer as may be appointed in this behalf by the displomatic or consular representative of India in the country in which you are resident.

(4) If you hold an office like the office of the (i) President, (ii) Vice-President, (iii) Governors of States, (iv) Cabinet Ministers of the Union or of any State, (v) The Deputy Chairman and Members of the Planning Commission, (vi) The Ministers of State of the Union or of any State, (vii) Deputy Ministers of the Union of any State, (viii) The Speaker of the House of the People or of any State Legislative Assembly, (ix) The Chairman of any State Legislative Council, (x) Lieutenant Governors of Union Territories, (xi) The Deputy Speaker of the House of the People or of any State Legislative Assembly, (xii) The Deputy Chairman of the Council of States or of any State Legislative Council, (xiii) Parliamentary Secretaries of the Union or of any State, the attestation may be obtained by an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of the Union or the State, as the case may be.

(5) If you are on an election duty, attestation may be obtained by any Gazetted Officer or by the Presiding Officer of the polling station in which you are on election duty.

(6) If you are under preventive detention, the attestation may be obtained by the Superintendent of the Jail or the Commandant of the detention camp in which you are under detention.

In all the above cases you may take the declaration to the authorised officer and sign it in his presence after he has satisfied himself about your identity. The officer will attest your signature and return the declaration to you. You must not show your ballot paper to the attesting officer nor tell him how you have voted.

---

*Appropriate particulars of the election, to be inserted here.

[1] Subs. by Notification No. S.O. 961 (E), dated the 29th December, 1986, for Form 13D.

If you are unable to mark the ballot paper and sign the declaration yourself in the manner indicated above by reason of illiteracy, blindness or other infirmity, you are entitled to have your vote marked and declaration signed on your behalf by any of the authorised officer mentioned above. Such an officer will, at your request mark the ballot paper in your presence and in accordance with your wishes. He will also complete the necessary certificate in his behalf.

After your declaration has been signed and your signature has been attested, place the declaration in Form 13A as also the smaller cover marked 'A' containing the ballot paper in the larger cover, marked 'B'. After closing the larger cover, send it to the returning officer by post or by messenger. You have to give full signature in the space provided on the cover marked 'B. No postage stamp need be affixed by you, if the over is posted in India. If, however, you are an elector employed under the Government of India in a post outside India, you should return the cover to the returning officer concerned direct by air mail service after the requisite postage stamp is duly affixed thereon by the office in which you are serving except where it is sent by diplomatic bag.

You must ensure that the cover reaches the Returning Officer before** ....

**on ....

Please note that :-

(i) if you fail to get your declaration attested or certified in the manner indicated above, your ballot paper will be rejected; and

(ii) if the cover reaches the returning officer after** ....

on the ** .... your vote will not be counted.

**(Here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of vote).

[1][प्ररूप 13 घ

(नियम 23 (1) (घ) देखिये)

निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

(लोक सभा या राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए)

.... से .... के लिए निर्वाचन*

इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं वे ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाकर अपना मत अभिलिखित करें। चिह्न इस प्रकार लगायें जिससे स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाए कि किस अभ्यर्थी को आपने अपना मत दिया है। यदि चिह्न इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह शंका हो गई है कि किस अभ्यर्थी को आपने अपना मत दिया है तो आपका मत अविधिमान्य हो जाएगा।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है। कृपया यह भी याद रखें कि आपका केवल एक मत है। तद्नुसार आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा।

उस चिह्न के सिवाय जिसे मतपत्र पर आपसे अपना मत अभिलिखित करने की अपेक्षा की गई है, उस पर आप न तो हस्ताक्षर करें, न कोई शब्द लिखें न कोई चिह्न या संकेत लगाएं और न कोई बात लिखें।

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र को आप इसके साथ भेजे गए ''क'' चिह्नित छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफे को बन्द कर दें और उसे मुद्रा लगाकर या अन्यथा सुनिश्चित रूप से बन्द कर दें।

(1) तब आप प्ररूप 13क में की घोषणा भी, जो इसके साथ भेजी जा रही है किसी सांबलिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हस्ताक्षरित करें और अपने हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन ऐसे सांबलिक मजिस्ट्रेट से करायें।

(2) यदि आप संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य हैं या राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य हैं किन्तु उस राज्य के बाहर सेवा कर रहे हैं तो अनुप्रमाणन उस ऑफिसर से कराये जिसे उस यूनिट पोत या स्थापन का कमान ऑफिसर इस निमित्त नियुक्त करें, जिसमें यथास्थिति, आप या आपका पति नियोजित है।

(3) यदि आप भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित हैं तो ऐसे ऑफिसर से कराऐं जिसे उस देश में, जिसमें आप निवासी हैं, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि इस निमित्त नियुक्त करे।

(4) यदि आप निम्नलिखित कोई पद धारण करते हैं, अर्थात् :-

(i) राष्ट्रपति, (ii) उपराष्ट्रपति, (iii) राज्यों के राज्यपाल, (iv) संघ या किसी राज्य के मंत्रिमण्डल के मंत्री, (v) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य, (vi) संघ या किसी राज्य के राज्य मंत्री, (vii) संघ या किसी राज्य के उप-मंत्री, (viii) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष, (ix) किसी राज्य विधान परिषद् का सभापति, (x) संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल, (xi) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष, (xii) राज्य सभा या किसी राज्य विधान परिषद का उप-सभापति, (xiii) संघ या किसी राज्य के संसदीय सचिव, तो अनुप्रमाणन ऐसे ऑफिसर से कराएं जो, यथास्थिति, संघ या राज्य सरकार की सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का नहीं है।

(5) यदि आप निर्वाचन-कर्त्तव्यारूढ़ हैं तो अनुप्रमाणन किसी राजपत्रित ऑफिसर से या उस मतदान केन्द्र के पीठीसीन ऑफिसर से कराएं, जिसमें आप निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ हैं।

(6) यदि आप निवारक निरोध के अधीन हैं तो अनुप्रमाणन उस जेल के अधीक्षक से या उस निरोध शिविर के समादेशक से कराएं जिसमें आप निरोधाधीन हैं।

---

*निर्वाचन की समुचित विशिष्टियाँ यहाँ अन्तःस्थापित करें।

उपरोक्त सभी मामलों में आप घोषणा को प्राधिकृत ऑफिसर के पास ले जाएं और आपकी अनन्यता के बारे में जब उसका समाधान हो जाए तब उसकी उपस्थिति में उसे हस्ताक्षरित करें। ऑफिसर आपके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करेगा और घोषणा आपको लौटा देगा। आपको अपना मतपत्र अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर को नहीं दिखाना चाहिए और न उसे यह बताना चाहिए कि आपने किसके पक्ष में मत दिया है।

यदि आप निरक्षरता, अन्धेपन या अन्य अंग शैथिल्य के कारण उस रीति से, जो ऊपर उपदर्शित है, स्वयं मतपत्र चिन्हित करने और अपनी घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ हैं तो आप उपरिलिखित किसी प्राधिकृत ऑफिसर द्वारा, अपनी ओर से अपना मत चिन्हित कराने और अपनी घोषणा हस्ताक्षरित कराने के लिए हकदार हैं। ऐसा ऑफिसर आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थिति में, और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र चिन्हित करेगा। वह इस निमित्त आवश्यक प्रमाण-पत्र भी भर कर पूरा कर देगा।

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किये जाने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित किये जाने के पश्चात् आप प्रारूप 13क वाली घोषणा और साथ ही मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाला ''क'' चिन्हित छोटा लिफाफा ''ख'' चिन्हित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बन्द करने के पश्चात् आप उसे रिटर्निंग ऑफिसर को डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा भेज दें। आपकों ''ख'' चिन्हित लिफाफे में उपबंधित स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने हैं।

यदि लिफाफा भारत में डाक से भेजा जाता है तो कोई भी डाक टिकट आपके द्वारा लगाया जाना आवश्यक नहीं है। किन्तु यदि आप ऐसे निर्वाचक हैं जो भारत के बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित हैं तो उस दशा को छोड़कर, जिसमें यह लिफाफा राजनयिक डाक-थैले में भेजा जाता है, आपको चाहिए कि जिस कार्यालय में आप सेवा कर रहे हैं उसके द्वारा उस पर अपेक्षित डाक टिकट लगवाने के बाद उसे हवाई डाक से सीधे सम्बद्ध रिटर्निंग ऑफिसर को लौटा दें।

आप यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास .... **को ....**बजे से पूर्व पहुंच जाए।

कृपया यह भी ध्यान रखें कि —

(i) यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा, तथा

(ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास ....** को................................ **बजे के पश्चात् पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी।

**यहाँ मतगणना के प्रारम्भ के लिए नियत समय और नियम तारीख विनिर्दिष्ट कीजिए।

---

[1] अधिसूचना सं. का. आ. 961 (अ) तारीख 29 दिसम्बर, 1986 द्वारा प्ररूप 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित।